

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 108वीं बैठक दिनांक 17.10.2006 में लिये गये निर्णय एवं कार्यवाही विवरण

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1	108.1	कार्यकारी समिति की 107 वीं बैठक दिनांक 20.9.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।	
2	108.2	होटल नीति हेतु जोन-12 में प्रस्तावित भूमि की आरक्षित दर के निर्धारण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
3	108.3	ग्राम निमेडा तहसील जयपुर के खसरा नं. 301, 297, 300, 291, 305, 304/2 (312,313 एवं 314/2 शा.नं.), 362, 318, 319, 320, 321 (320/538 शा.नं.), 320/539, 361, 286/2, 363 एवं 318/537 कुल किता 16 कुल रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग मिक्स एवं ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना
4	108.4	ज्योति जगजीवन नगर हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी की योजना कल्याण कालोनी क भू.सं. 24 क्षेत्रफल 301.11 वर्ग गज का भू-उपयोग रूपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक आयोजना
5	108.5	ग्राम घाउवास के खसरा नं. 8/2,8/1,1,10,11,12, व ग्राम कनकापुरा के खसरा नं. 212 तहसील जयपुर की भूमि का भू उपयोग वाणिज्यिक से आवासीय किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक आयोजना
6	108.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कांकरेल तहसील आमेर के खसरा नं. 577 एवं 578 की कुल भूमि 0.76 है० में से 1129.40 व.मी. में से सड़क क्षेत्र में आने वाली 185.05 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करते हुये शेष भूमि 944.55 व.मी. का भू-उपयोग इकोलोजिकल से व्यावसायिक (गैस गोदाम) किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाकर प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)
7	108.7	भूखण्ड संख्या ए-284 जविप्रा कर्मचारी योजना ग्राम टीलावाला के नियमितिकरण बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-9
8	108.8	होटल नीति हेतु जोन-11 में प्रस्तावित भूमि की आरक्षित दर के निर्धारण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-11
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की स्वीकृति से Supplementary agenda				
9	108.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम अचरोल के खसरा नम्बर 749/1 (पुराना) 2561/6826 (नया) की 2500 हेक्टेयर भूमि में से 1541 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग रिक्रेशनल से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) रूपान्तरण बाबत।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाकर प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
10	108 10	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजश्व ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 1,2,3 किता 3 एकबा 109 बीघा 6 बिस्वा एवं ग्राम अन्नतपुरा तहसील चौमू के खसरा नम्बर 2600, 2602, 2604, 2608, 2609, 2610, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700/2701, 2702/2703, 2704/2705, 2606/2607, 2607/2608 कुल किता 15 कुल एकबा 40.46 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	
11	108 11	श्री धनपत सिंह, सहायक अभियन्ता (सिविल) सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में सेक्टर अभियन्ता की 4 वर्ष पश्चात् प्रतिनियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि बाबत।	सर्वसम्मति से श्री धनपत सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि में दि. 8.10.07 तक की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
12	108. 12	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2005-06 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया एवं उपहार के सम्बन्ध में जारी आज्ञा दिनांक 12.10.2006 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
13	108 13	कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के चार पद कमोन्त करने सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुये राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
14	108 14	सहायक निरीक्षक (उद्यान) के सीधी भर्ती कोटा के 2 पदों को पदोन्नति कोटा में एक बारीय स्थानान्तरित करने की स्वीकृति मांगी।	प्रकरण पर पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में पेश किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
15	108 15	जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यकारी (दोरी एवं सामान्य शर्त) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या-द्वितीय अभियांत्रिकी सेवा में क.सं.-3 (सहायक अभियन्ता) के पदोन्नति संबंधी वर्तमान प्रावधानों में संशोधन मांगी।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले विभागीय परीक्षा से उत्तीर्ण विभागीय पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राधिकरण में पदोन्नति प्रदान करने की सलाह देना किता 15 कुल एकबा 40.46 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
16	108 16	जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यकारी (दोरी एवं सामान्य शर्त) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या-कृषि सेवा में क.सं.-3 (सहायक अभियन्ता) के पदोन्नति संबंधी वर्तमान प्रावधानों में संशोधन मांगी।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में पेश किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
17	108. 17	प्राधिकरण में कार्यरत आशुलिपिक संघ के कर्मचारियों को विशेष वेतन दिये जाने बाबत।	प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में कार्यरत आशुलिपिकों को विशेष वेतन के रूप में राज्य सरकार द्वारा अथवा राजस्थान वित्त निगम द्वारा इनमें से जो भी कम हो वह राशि स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
18	108. 18	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्त) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या-द्वितीय अभियांत्रिकी सेवा में क.सं.-3 (सहायक अभियन्ता) के पदोन्नति संबंधी वर्तमान प्रावधानों में संशोधन मांगी।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण के परीक्षण हेतु अति. आयुक्त (प्रशासन) की अध्यक्षता में ओ.एस.डी. (आर.एम.) उपनिदेशक (विधि) व सर्किल अभि. (प्रथम) की एक समिति गठित की जाती है, जिनके सुझावों सहित	अति.आयुक्त (प्रशासन)

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालिका रिपोर्ट
19	108.19	श्री कमल कुमार कौशिक, सुपरवाइजर (विद्युत) को कनिष्ठ अभियंता के पद पर सीधी भती कोटा में चयन कर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि यदि प्रकरण चयन समिति के समक्ष रखा जाने लायक है, तो उसके समक्ष पेश किया जावे।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
20	108.20	ग्राम चंदलाई के भू.सं. 1 क्षेत्रफल 994.22 व.मी. में से 834.57 वर्गमीटर का भू-उपयोग व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में सर्वसम्मति से स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	
21	108.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के ख. नं. 147, 151, 152, 155, 148, 149/623, 63/639, 146/638, 156/645, 156, 157, 157/646, 158, 158/649, 158/650 एवं खसरा नम्बर 150 कुल किता 17 कुल रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा एवं ग्राम सिवार तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 1072, 1073 एवं खसरा नम्बर 1082 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा का भू-उपयोग औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाकर प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार का अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	
22	108.22	पिकसिटी गृ.नि.स.समिति की योजना श्यामनगर के भू.सं. बी-39ए क्षेत्रफल 1059 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक रुपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाकर प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)	
23	108.23	कनिष्ठ सहायक को 23 मं. सीधी भती कोटा से पदोन्नति कोटा में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् Working arrangement हेतु परीक्षण किया जाकर प्रशासनिक निर्णय लिया जावे।	अति आयुक्त (प्रशासन)	

रायचिव,
जविप्रा, जयपुर

37/

क्र.सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री शिव कुमार शर्मा	शासन उप सचिव	नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य के प्रतिनिधि
2	श्री जी. एल. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्रीमती कोमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.सी. महागावकर	निदेशक (आयोजना) एच.टी. पी. एम. पी.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री आर. पी. केडिया	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री टी. एस. अरोरा	उपनगर नियोजक	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त	जयपुर नगर-निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री डी.आर. चौहान	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री डी.पी. बंसल	तकनीकी सहायक नगर वृत्त जयपुर	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि

अन्य अधिकारी उपस्थित

12	श्री रामनिवास मीणा	अति आयुक्त (परिचय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
13	श्री मातादीन शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14	श्री ज्ञाना राम	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
15	सुश्री रेखा गुप्ता	अति.आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
16	श्री सी.एम. अग्रवाल	ओ.एस.डी.(आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
17	श्री बी.एस. शर्मा	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
18	श्री एल.आर. तोषावड़ा	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
19	श्री अरुण गर्ग	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	श्री हृन्दर सिंह सोलंकी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

13
सचिव

जयप्रा. ज

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक: 17/11/06

373

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2006/ 11-9956
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10.	जिला कलक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग, जयपुर।
16.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	विरोधाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर